दैनिक नवज्योति
Shekhawati - 21 May 2026 - Page 5

रेरा के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आज होगी कार्यशाला

न्यूज सर्विस/ नवज्योति, खाटूश्यामजी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा रेरा अधिनियम के तहत जागरूकता, अनुपालन एवं शहरी स्थानीय निकायों तथा डेवलपर्स की भूमिका को लेकर गुरुवार को कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

यह कार्यशाला सुबह 11 बजे सेठ सांवरा धर्मशाला खाटूश्यामजी में होगी। कार्यशाला का उद्देश्य रेरा अधिनियम के प्रावधानों, सूचना प्रणाली, अनुपालनों तथा विकास प्राधिकरणों, यूआईटी एवं शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में रेरा राजस्थान के संबंधित अधिकारियों द्वारा रेरा से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं और नियमों पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी।इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। कार्यशाला में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी, विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, डेवलपर्स तथा अन्य संबंधित हितधारक भाग लेंगे।